भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *248
जिसका उत्तर 5 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।
14 श्रावण, 1948 (शक)

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर रोक

***248. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर :**

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऑनलाइन खतरों से अवयस्कों की सुरक्षा के लिए, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से रोकने वाले हाल के अंतर्राष्ट्रीय विधानों सहित वैश्विक विनियामक ढांचों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में आयु-सत्यापन तंत्र को लागू किए जाने के संबंध में व्यवहार्यता, डिजिटल अधिकारों संबंधी विवक्षाओं, निजता संबंधी चिंताओं और प्रवर्तन चुनौतियों के संबंध में किए गए किसी आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवयस्कों को साइबर बुलिंग या हानिकारक सामग्री से बचाने हेतु छात्रों के साथ संवाद करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के उपयोग को विनियमित किए जाने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या माता-पिता की सहमति अथवा आयु निर्धारण संबंधी उपायों को ऑनलाइन अनिवार्य करने के लिए कोई विधायी या विनियामक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डिजिटल प्लेटफार्मों पर बाल सुरक्षा संबंधी विनियमों को लागू करने के लिए हितधारकों के साथ अब तक किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ङ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर रोक के संबंध में दिनांक 05.08.2026 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *248 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

(क) से **(ड.):** जहां एक ओर डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने शिक्षा, संचार और नवाचार तक पहुंच में काफी वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से भी अवगत है, जिसमें हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शोषण और डिजिटल लत आदि शामिल हैं।

सरकार डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपनाए गए उपायों सहित ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक विकास और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों के बारे में अपने आप को अद्यतन रखती है। भारत के संवैधानिक ढांचे, कानूनी आवश्यकताओं, तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और उपयोगकर्ता सुरक्षा, नवाचार, गोपनीयता और डिजिटल समावेशन को संतुलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, घरेलू नीति और कानूनी ढांचा तैयार करते समय या उनकी समीक्षा करते समय इस तरह के विकास की समय-समय पर जांच की जाती है।

सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद के लिए, सरकार डिजिटल पारिस्थितकी तंत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे से संबंधित मामलों में एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाती है और तकनीकी विकास और सार्वजनिक हित के आलोक में साइबर स्पेस में उभरते हुए मुद्दों से संबंधित कानूनी, नीतिगत और संस्थागत ढांचे की जांच करने के लिए नियमित रूप से संबंधित हितधारकों के साथ संपर्क में रहती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 ("आईटी नियम") ने मिलकर डिजिटल कल्याण, उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षा उपायों और जिम्मेदार डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित किया है।

आईटी नियमों के तहत यह आवश्यक है कि मध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतेंगे और उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों के बारे में सूचित करेंगे कि वे ऐसी किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, अद्यतन या साझा न करें जो बच्चों के लिए हानिकारक है या कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती है।

माध्यस्थ, ऐसे मामलों में जहां उल्लंघन में वर्तमान में यथालागू किसी भी कानून, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के साथ पठित भारतीय न्याय संहिता, 2023, के तहत अपराध करना शामिल है, जिसकी रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है, को यथालागू कानून के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे अपराध की रिपोर्ट करनी चाहिए।

आईटी नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यस्थों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश या उपयुक्त सरकार या उसकी किसी उपयुक्त अधिकृत एजेंसी द्वारा तर्कसंगत सूचना प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम") भी अधिनियमित किया गया है जिसके तहत डिजिटल वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बच्चों के वैयक्तिक डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाया गया है और बच्चों की ट्रैकिंग, उनके व्यवहार की निगरानी या लक्षित विज्ञापन जैसे उनकी भलाई के लिए हानिकारक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करने और जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)' नामक एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। अब तक, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन से जुड़े अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता सहित 11.37 लाख+ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर, बच्चों के लिए कार्टून कहानियों आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और www.isea.gov.in और https://staysafeonline.in/ के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित की जाती है।

सर्ट-इन नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर सुरक्षा और सुरक्षा युक्तियाँ और जागरूकता पोस्टर, इन्फो-ग्राफिक्स और वीडियो साझा करता है और इनका उद्देश्य बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों सहित साइबर सुरक्षा हमलों और धोखाधड़ी के बारे में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाना है।

शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2020 में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशानिर्देश जारी किए, जो छात्रों की भलाई को बढ़ावा देने और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग सहित सुरक्षित और प्रभावी ऑनलाइन अधिगम हेतु एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। सीबीएसई ने डिजिटल शिष्टाचार, शिक्षकों के लिए साइबर-सुरक्षा प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा पुस्तिका के प्रकाशन और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साइबर क्लब स्थापित करने के लिए स्कूलों को सलाह के माध्यम से इन प्रयासों को पूरा किया है। एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को भी शामिल किया है, जिसमें कक्षा XI और XII में "सामाजिक प्रभाव" पर एक अध्याय शामिल किया गया है और सीआईईटी-एनसीईआरटी ने साइबर सुरक्षा पर संसाधन सामग्री विकसित और प्रसारित की है।
